

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा.भवन, / 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं:निसेसंप्रनि/निदे/210(सी)/45

16 जून, 2023

कार्यालय आदेश सं. **Office Order No. 21 / 2023**

विषय Sub : निसेसंप्रनि शीर्ष समिति का पुनर्गठन Reconstitution of DCSEM Apex Committee


उपरोक्त विषय पर पूर्व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निसेसंप्रनि में शीर्ष समिति के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया जाता है In supersession of earlier Orders on the above subject, DCSEM Apex Committee is hereby re-constituted with following members:

01.	निदेशक, निसेसंप्रनि Director, DCSEM	-	अध्यक्ष Chairman
02.	मुख्य अभियंता(सी2)/प्रधान(टीडी) CE (C2) / Head (TD)	-	सदस्य Member
03.	मुख्य अभियंता(कें.मा. प्र) / मुअ (सी1) CE (CQD) / CE (C1)	-	सदस्य Member
04.	मुख्य अभियंता (ईएसजी) एवं अध्यक्ष, शासी निकाय CE (ESG) & Chairman Governing Body	-	सदस्य Member
05.	प्रधान (एमडी) Head (MD)	-	सदस्य Member
06.	मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer	-	सदस्य Member
07.	संयुक्त नियंत्रक(वित्त एवं लेखा) JC (F&A)	-	सदस्य Member
08.	प्रधान (पीसीडी) Head (PCD)	-	समन्वयक Co-ordinator

शीर्ष समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार को 10:30 बजे, तीसरा तल, सम्मेलन कक्ष में होगी। बुधवार को अवकाश होने की स्थिति में समिति की बैठक अगले कार्य दिवस को उसी जगह और समय पर होगी। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं The Apex Committee shall meet every week on Wednesday at 10:30 hrs at 3rd floor Conference Hall. In case Wednesday is holiday the Committee shall meet on the next working day at same place and time. The terms of reference of the Committee are as under:

- निसेसंप्रनि द्वारा संचालित परियोजना कार्य, अनुरक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना
To review the progress of Project Works, Maintenance Works handled by DCSEM.
- प्रशासन, लेखा, प्रशिक्षण, संरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मामले।
Matters related to Administration, Accounts, Training, Safety and Security.
- निसेसंप्रनि से संबंधित कोई अन्य मामला Any other matter relevant to DCSEM.

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। This will come into force with immediate effect.


(के. महापात्रा / K. Mahapatra)
निदेशक / Director

उपर्युक्त सभी अधिकारी,
All the above Officers.

